

प्रेषक

पन्ना लाल,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,  
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन,  
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 10 अगस्त, 2018  
विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों का आधुनिकीकरण  
एवं उच्चिकरण हेतु बजट में व्यवस्थित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-664/10-जि030के0/भवन-34/2018-19, दिनांक 21 जुलाई, 2018, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चिकरण योजनान्तर्गत जनपद आगरा, बरेली, सहारनपुर, आजमगढ़ एवं गाजियाबाद के प्रस्तावित कार्यों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि ₹0 400.00 लाख के सापेक्ष प्रत्येक जनपद हेतु ₹0 80.00 लाख अर्थात् कुल ₹0 400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने तथा व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तावित कार्यों को अनुमोदित लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा यदि लागत में वृद्धि होती है तो उसे कार्यदायी संस्था द्वारा अपने श्रोतों से वहन किया जायेगा। परियोजना में प्रस्तावित निर्माण कार्य के ब्योरेवार नक्शे और अनुमान तैयार करके विस्तृत आगणन पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। प्रस्तावित कार्यों को समयबद्धता से कराया जायेगा तथा गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।

3- कार्य की लागत के संबंध में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित दरें लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों शिड्यूल आफ रेट्स के अनुरूप हैं।

4- उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित मानक मर्दों पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में अन्य मर्दों में उपयोग नहीं किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि आहरित कर तत्काल कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी, कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

6- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन 30प्र0, कानपुर की होगी तथा प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायेगा। कार्य का सत्यापन संबंधित उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किया जायेगा एवं आयुक्त एवं निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर सहित प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0 या डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

8- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

9- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन 30प्र0, कानपुर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

10- उपरोक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी जारी शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा एवं अनावश्यक व्यय नहीं किया जायेगा। उपरोक्तानुसार होने वाले व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-13 पर नियमित रूप से शासन के सम्बन्धित अनुभागों को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

11- उपरोक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय अनुदान संख्या-3 के लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-13-जिला उद्योग एवं उद्यम केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण-42 अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

( पन्ना लाल )

उप सचिव।

संख्या-28/2018/684(1)/18-2-2018-30(4)/2017 -तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, 30 प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3. कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. उ०प्र० लघु उद्योग निगम, कानपुर।
6. जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा/बरेली/सहारनपुर/आजमगढ़/गाजियाबाद।
7. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3/2 ( गार्ड फाइल)।

आज्ञा से

( पन्ना लाल )

उप सचिव।